राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

:: नि र्ण य::

कालूराम व अन्य. बनाम् महावीर प्रसाद सेनी वगैरा।
(एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-285/2001)

एकलपीठ सिविल विविध अपील अन्तर्गत धारा-173, मोटर यान अधिनियम,1988 विरूद्ध श्री के.एस. भटनागर, आर.एच.जे.एस. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर जिला-जयपुर द्वारा पारित पंचाट एवं निर्णय दिनांक- 22.2.2000, जिसके द्वारा अपीलार्थी/ दावेदारान् को 1,32,000/-रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है एवं 1,07,000/-रूपये पर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक- 24.1.1994 से 12 % वार्षिक की दर से ब्याज दिलवाया गया है।

निर्णय दिनांक- **जनवरी 29, 2010**

उ प स्थि त

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा</u>

श्री राकेश चंदेल, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्रीमती चित्रा गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी पक्ष।

न्यायालय द्वारा-

(1) अपीलार्थी/दावेदारान ने यह सिविल विविध अपील न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर जिला- जयपुर (जिसे आगे चलकर **'न्यायाधिकरण'** सम्बोधित किया जावेगा) द्वारा पारित पंचाट एवं निर्णय दिनांक- 22.2.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं जिसके द्वारा निम्न पंचाट अपीलार्थी/ दावेदारान् के पक्ष में पारित किया गया है:-

> "परिणामत: प्रार्थीगण कालूराम वगैरह के क्लेम प्रार्थना पत्र में कुल 1,32,000/-रूपये अक्षरे एक लाख बत्तीस हजार रूपये की राशि का पंचाट पारित किया जाता है जिसमें से अंतरिम पंचाट में दिलायी गयी राशि 25,000/-रूपये का समायोजन किये जाने के पश्चात् शेष राशि में से 57,000/-रूपये की राशि प्रार्थीगण कालूराम, संयोगिता के संयुक्त नाम से उनके बचत खाते में तथा 25,000/-रूपये एक साल, 25,000/-रूपये तीन साल की अवधि के लिये इनके संयुक्त मियादी खाते में जमा कराये जावे। प्रार्थीगण शेष पंचाट राशि 1,07,000/-रूपये पर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की

दिनांक- 24.1.94 चौरानवे से बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण को उक्त राशि का भुगतान चैक/डाफ्ट से किया जावेगा तथा प्रार्थीगण उक्त राशि विपक्षीगण से संयुक्तरूप से व पृथक-पृथक रूप से प्राप्त कर सकेगें। ब्याज की राशि के बाबत् आदेश अलग से चैक/डाफ्ट प्राप्त होने पर दिया जायेगा।"

जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी / दावेदारान ने उन्हें दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में अभिवृद्धि किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/दावेदारान ने एक क्लेम प्रार्थना पत्र न्यायाधिकरण के समक्ष ट्रक वाहन संख्या-आर.जे.डी. 3299 से दुर्घटना स्वरूप उसके पुत्र मुकेश कुमार की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति हेतु वाहन के चालक महावीर प्रसाद, वाहन स्वामी औंकार तथा वाहन की बीमाकृता यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार दिनांक- 27.10.93 को दिन में करीब ढ़ाई बजे अपीलार्थी/दावेदारान का पुत्र मुकेश कुमार विद्यालय से साईकिल पर अपने घर आ रहा था कि रींगस रोड़ पर आमलियों के पास पीछे से आ रहे ट्रक संख्या- आरजेडी 3299 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर मुकेश को कुचल दिया जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी/दावेदारान से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल 7,40,000/-रूपये विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक- पृथक रूप से दिलाये जाने की प्रार्थना की।

(3) विपक्षी वाहन चालक एवं वाहन स्वामी की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी/दावेदारान द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र में किये गये अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए अभिकथित किया गया कि वाहन चालक अपने वाहन को साइड में धीरे-धीरे चला रहा था कि मृतक मुकेश अचानक गलत साइड से लापरवाही व गफलत से साईकिल चलाता हुआ आया व ट्रक के पीछे से पिछले पहिये के टक्कर मारी तथा गिर गया अत: अपीलार्थी/दावेदारान किसी प्रकार का क्लेम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(4) विपक्षी वाहन बीमाकर्ता बीमा कम्पनी की ओर से भी क्लेम प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए प्रारम्भिक आपत्तियों में कथन किया गया कि दावेदारान द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अत: क्लेम प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी अभिकथित किया कि वाहन चालक के पास मियादी व वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था अत: बीमा कम्पनी की क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यह भी अभिकथित किया कि वाहन चालक की कोई लापरवाही नहीं थी एवं अन्त में क्लेम प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

(5) विद्वान न्यायाधिकरण ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पांच विवाद्यकों की संरचना की। अपीलार्थी/दावेदारान् की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र के

समर्थन में मौखिक साक्ष्य में दो साक्षियों को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 16 प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गये। विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर आई साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए आक्षेपित पंचाट/निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/दावेदारान ने उन्हें दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में अभिवृद्धि किये जाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

(6) विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/ दावेदारान् श्री राकेश चंदेल का तर्क है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करते समय विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं को दृष्टिगत नहीं रखा है। उनका यह भी कथन है कि मृतक होनहार छात्र था जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था अत: जो क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है वह अपर्याप्त है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्यायालय का ध्यान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा **मन्जू देवी व अन्य बनाम् मुसाफिर पासवान व अन्य.**(2005(1)T.A.C.609(S.C.) न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है:-

> "3. As set out in the Second Schedule to the Motor Vehicles Act,1988,for a boy of 13 years of age, a multiplier or 15 would have to be applied. As per the Second Schedule, he being a non-earning person, a sum of Rs.15,000/- must be taken as the income. Thus, the compensation come to Rs. 2,25,000/-.
>
> 4. We accordingly modify the award to be in a sum Rs. 2,25,000/- with interest as awarded. The appeal stands disposed of accordingly. No order as to costs.

इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय की सहपीठ द्वारा **श्रीमती सौभाग्य देवी वगैरा बनाम् सुखवीर सिंह वगैरा**(2006(1)T.A.C. 515 (Raj.) न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया जिसमें इस न्यायालय की सहपीठ ने निम्न मत अभिव्यक्त किया है:-

> "5.I have considered rival contentions and perused the findings recorded by the Tribunal. As per Second Schedule to the Act, upto the age of 15 years, multiplier of 15 is to be applied when the legislature in 2nd Schedule has not made any difference in application of multiplier for the death of non-earning member. In the present case, deceased (son of claimants),who was also a non-earning member, there cannot be made any difference with regard to quantum of

compensation as awarded in the judgment referred to (supra). In my considered opinion, this matter is covered by judgment of the Apex Court in Manju Devi v. Musafir Paswan(supra), wherein the deceased was a boy of 13 years, the Apex Court took his annual income of Rs.15,000/-being a non-earning member as per Second Schedule and therefrom no amount has been deducted for his personal expenses and after applying multiplier of 15, awarded compensation to a sum of Rs. 2,25,000/- under the head of loss of economic dependency to the family,.

6. In view of settled legal position(supra), this appeal is allowed and the claimants are entitled for enhanced compensation for a sum of Rs. 1,15,000/-(Rs.2,25,000/-minus Rs.1,10,000/-awarded vide impugned Award), which shall also carry interest @ 6% per annum, from the date of filing of claim application till its actual payment. Enhanced compensation with interest shall be deposited by Insurance Company through A/c payee bank draft/ pay order before the Tribunal within two months."

उनका कथन है कि आक्षेपित पंचाट/निर्णय पारित करते समय विद्वान न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि मृतक एक होनहार बालक था एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था एवं प्रार्थना की कि अपीलार्थी/दावेदारान को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाया जावे।

(7) इसके विपरीत प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की अधिवक्ता श्रीमती चित्रा गुप्ता ने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/दावेदारान के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर आई साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया है जिसकी अनुपालना में अपीलार्थीगण को न्यायाधिकरण के आक्षेपित पंचाट के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भी किया जा चुका है, किन्तु फिर भी यदि यह न्यायालय यह समझता है कि अपीलार्थी/दावेदारान को न्यायाधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि अपर्याप्त है तो जो न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करना चाहे, कर सकता है।

(8) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(9) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आद्योपांत अनुशीलन के उपरान्त विशेषत: इस तथ्य को दृष्टिगत

रखते हुए कि मृतक एक होनहार बालक था एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था, अपीलार्थी/ दावेदारान को न्यायाधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है जिसे 1,32,000/- रूपये (अक्षरे एक लाख बत्तीस हजार) से बढ़ाकर 1,80,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख अस्सी हजार) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(10) परिणामत: यह सिविल विविध अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी/दावेदारान को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि 1,32,000/- रूपये (अक्षरे एक लाख बत्तीस हजार) को बढ़ाकर 1,80,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख अस्सी हजार) किया जाता है। अपीलार्थी/दावेदारान उक्त बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि 48,000/-रूपये (अक्षरे अड़तालीस हजार) पर अपील प्रस्तुत करने की दिनांक-01.07.2000 से 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें। प्रत्यर्थी/विपक्षीगण उक्त राशि का भुगतान संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से अपीलार्थी/दावेदारान को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से तीन माह की अवधि में कर देगें।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.